He Arotake Pōtitanga Motuhake
Independent Electoral Review

सारांश दस्तावेज़

हमें यह बताने के लिए एक निमंत्रण कि आप हमारी चुनाव प्रणाली के बारे में क्या सोचते हैं

सितंबर 2022

प्रस्तावना

न्याय मंत्रालय ने एओटियारोआ न्यूज़ीलैंड के चुनाव कानूनों की समीक्षा करने के लिए स्वतंत्र चुनाव समीक्षा (**समीक्षा**) की स्थापना की थी। यह समीक्षा चुनाव संबंधी नियमों को वर्तमान और भावी मतदाताओं के लिए अधिक स्पष्ट, निष्पक्ष, और अधिक अभिगम्य बनाने का एक अवसर है।

समीक्षा संपन्न करने के लिए नियुक्त पैनल की अध्यक्षा डेबोरा हार्ट हैं। इसके सदस्य हैं, एसोसिएट प्रोफेसर मारिया बार्ग़ (उपाध्यक्षा), प्रोफेसर एंड्रू गेडिस, डॉ. लारा ग्रीव्ज़, एलिस मैंडर, और रॉबर्ट पेडेन।

अधिक समय नहीं है? यह सारांश आपको समीक्षा के उद्देश्य, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों, और आपसे पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों के बारे में बताता है।

अधिक जानना चाहते हैं? हमारी वेबसाइट https://electoralreview.govt.nz/ पर उपलब्ध हमारे परामर्श दस्तावेज़ को एक नज़र देखें।

आप चाहे जितने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, या प्रश्नों का उत्तर दिए बिना अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। मात्र एक मुद्दे, कुछ मुद्दों, या समूची समीक्षा पर विचारों का स्वागत है। हम आपको हमारी संदर्भ की शर्तों के भीतर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

हमें इस समीक्षा की जरूरत क्यों है?

हमारे प्रजातंत्र के सुचारु रूप से चलने के लिए आधुनिक और अभिगम्य चुनाव कानून महत्वपूर्ण है। एओटिएरोआ न्यूज़ीलैंड के चुनाव कानून का बड़ा हिस्सा 60 से अधिक वर्षों से वैसा ही बना हुआ है और अब पुराना हो गया है।

जैसे-जैसे दुनिया भर में प्रजातंत्र के प्रति खतरा बढ़ रहा है, यह समीक्षा हमारी चुनाव प्रणाली को भविष्य के लिए मजबूत बनाने का एक मौका है।

हमसे यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि हमारी चुनाव प्रक्रिया इन उद्देश्यों को पूरा करे:

यह समीक्षा किस बारे में है?

यह समीक्षा चुनाव प्रक्रिया से संबंधित लगभग हर चीज को कवर करती है। अगले पन्नों में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है।

समूची समीक्षा के दौरान, पैनल वैधानिक संरचना और भूतपूर्व चुनाव आयोग तथा न्याय समिति की सिफारिशों पर भी विचार करेगा।

हम ऑनलाइन मतदान, एमएमपी की वैकल्पिक मतदान प्रणालियों, स्थानीय सरकार के चुनाव कानून, माओरी मतदाताओं की प्रतिधारणा, या बृहत्तर सांवैधानिक मुद्दों पर विचार नहीं करेंगे।

आप हमारी वेबसाइट, https://electoralreview.govt.nz/ पर हमारी संदर्भ की शर्तों में समीक्षा की व्याप्ति के बारे में अधिक जान सकते हैं।

Te Tiriti o Waitangi – Waitangi संधि

इस समीक्षा के उद्देश्यों में से एक इस बारे में सलाह प्रदान करना है कि यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि चुनाव प्रणाली Te Tiriti o Waitangi – Waitangi संधि का सम्मान करे। पैनल जानना चाहेगा कि समीक्षा में मौजूद कौन से मुद्दे मावरी के लिए सबसे अहम हैं।

चुनाव कानून को मावरी के दृष्टिकोणों का संसद में प्रतिनिधित्व संभव करना चाहिए और चुनाव प्रणाली में मावरी की सक्रिय सहभागिता का समर्थन करना चाहिए। इन अधिकारों की सक्रिय सुरक्षा करना राज का कर्तव्य है।

याद रखें

जब आप अपना सबमिशन तैयार करेंगे, तब शायद आप निम्नलिखित बातों को जानना चाहेंगे:

राज द्वारा चुनाव कानून के संबंध में Te Tiriti o Waitangi – Waitangi संधि के अधीन अपने दायित्वों का सम्मान कैसे किया जा सकता है?

भाग 1: मतदान प्रणाली

एओटियारोआ न्यूज़ीलैंड द्वारा सांसदों के सदस्यों (**एमपी**) का चुनाव करने के लिए मिश्रित सदस्य आनुपातिक (**एमएमपी**) मतदान प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। पार्लियामेंट में आम तौर पर 120 सीटें होती हैं और उसका गठन उन एमपी से, जो अपने चुनाव क्षेत्र (**चुनाव क्षेत्रीय एमपी**) का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उन एमपी से, जो अपने राजनैतिक दल (**लिस्ट एमपी**) का प्रतिनिधित्व करते हैं, किया जाता है।

प्रतिनिधित्व और एमएमपी

हालांकि समीक्षा में एमएमपी मतदान प्रणाली के विकल्पों की तलाश नहीं की जा रही है, इसके द्वारा 2012 में चुनाव आयोग द्वारा एमएमपी की कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। इनमें उन सीमाओं की समीक्षा करना शामिल है जिन्हें पार करके राजनैतिक दल (**दल**) संसद में प्रवेश कर सकते हैं। फिलहाल, दलों के लिए दल के मतों का 5 प्रतिशत या कम से कम एक चुनाव क्षेत्रीय सीट जीतना आवश्यक है। इस समीक्षा में 2012 में चुनाव आयोग के ओवरहैंग सीटों को समाप्त करने और संसद में प्रतिनिधित्व और आनुपातिकता को कायम रखने के लिए चुनाव क्षेत्र और लिस्ट सीटों के बीच अनुपात को 60:40 पर रखने के प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है।

संसद की अवधि और चुनाव का समय

फिलहाल, एओटियारोआ न्यूज़ीलैंड में कम से कम हर तीन वर्ष में आम चुनाव करना आवश्यक है। नियमित चुनाव प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य हैं क्योंकि वे सुनिश्चित करते हैं कि मतदाताओं को यह फैसला करने का अवसर मिले कि क्या वे अपने सांसदों या सरकार को बदलना चाहते हैं।

समीक्षा में विचार किया जा रहा है कि क्या संसद की तीन वर्ष की अवधि में परिवर्तन करने चाहिए या नहीं। इसमें इस बात पर भी विचार किया जाएगा कि क्या चुनाव की घोषणा करने की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन करने चाहिए। फिलहाल, प्रधानमंत्री द्वारा तीन वर्ष पूरे होने से पहले किसी भी समय चुनाव की घोषणा करने का फैसला किया जा सकता है।

अन्य मुद्दे

समीक्षा के इस भाग में यह भी देखा जाएगा कि कोई सासंद संसद में अपनी सीट को कैसे खो सकता है, और उसके बाद क्या होता है।

भाग 2: मतदाता

मतदान करना जनता के लिए एओटियारोआ न्यूज़ीलैंड के प्रजातंत्र में भाग लेने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। मतदान करके, लोग चुनते हैं कि संसद में उनके हितों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। कौन मतदान कर सकता है, और वह कैसे मतदान कर सकता है, इससे संबंधित नियम हमारी चुनाव प्रणाली के मूल अंग हैं।

मतदान करने का अधिकार

किसी भी व्यक्ति के द्वारा संसद के चुनाव में मतदान करने से पहले, मतदान करने के लिए उसका नाम लिखा जाना आवश्यक है। नाम लिखाने का पात्र होने के लिए, किसी भी व्यक्ति को, कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का, न्यूज़ीलैंड का नागरिक या स्थायी निवासी, और एओटियारोआ न्यूज़ीलैंड में किसी समयावधि के दौरान कम से कम एक वर्ष तक लगातार रहना चाहिए। कुछ लोग मतदान करने के लिए अयोग्य हैं -- उदाहरण के लिए, यदि वे विदेश में रहते हैं और हाल के समय में एओटियारोआ न्यूज़ीलैंड वापस नहीं आए हैं, यदि वे तीन या अधिक वर्षों के लिए कारावास की सजा भुगत रहे हैं, या यदि उन्होंने कोई गंभीर चुनाव-संबंधी अपराध किया है।

समीक्षा में विचार किया जा रहा है कि क्या मतदान की आयु अब भी 18 वर्ष ही रहनी चाहिए और क्या मतदाता की पात्रता में अन्य परिवर्तन किए जाने चाहिए।

सहभागिता के अवरोधों को हटाना

यदि मतदान करना आसान और अभिगम्य होता है तो संभव है कि अधिक लोग चुनावों में भाग लेगें। लोगों का मतदान करने का तरीका बदल गया है। ऐतिहासिक रूप से, चुनाव के दिन मतदान केंद्र पर स्वयं जाकर मतदान किया जाता रहा है। अब, अधिक लोगों द्वारा मतदान के दिन से पहले मतदान करने का चुनाव किया जा रहा है, जिसे अग्रिम मतदान कहते हैं। लोग चुनाव के दिन सहित, एक ही दिन नाम लिखा सकते हैं और मतदान कर सकते हैं। अलग-अलग आवश्यकताओं वाले लोगों, जैसे विदेश में रहने वाले मतदाता और विकलांग मतदाता, के लिए मतदान करने के अलग-अलग तरीके उपलब्ध हैं।

इस समीक्षा में विचार किया जा रहा है कि क्या मतदान करने के वर्तमान तरीके मतदाता की जरूरतों को पूरा करते हैं, और क्या उन्हें अधिक अभिगम्य बनाया जा सकता है।

आपातस्थितियाँ और विदारण

अनपेक्षित घटनाओं के कारण चुनावों को योजना के अनुसार संपन्न करने में रुकावटें उत्पन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, कोविड-19 महामारी ने 2020 के चुनावों के संचालन को प्रभावित किया था। जब कोई विदारण होता है, तो कुछ मतदान केंद्रों पर मतदान रोका जा सकता है, या मतदान की अन्य पद्धतियाँ उपलब्ध कराई जा सकती हैं। समीक्षा में विचार किया जा रहा है कि क्या ये उपाय पर्याप्त रूप से मजबूत हैं।

अन्य मुद्दे

समीक्षा के इस भाग में निम्न बातों को भी कवर किया जाएगा:

- साधारण या मावरी निर्वाचन सूची का चुनाव करने सहित, मतदान करने के लिए नाम लिखाना
- सुनिश्चित करना कि मतदान प्रक्रिया निरापद हो
- मतों की गिनती करना और परिणाम घोषित करना।

भाग 3: दल और उम्मीदवार

दल और उम्मीदवार चुनाव में भाग लेने के लिए आगे आ सकते हैं। दलों का पंजीकरण करने, उम्मीदवारों का चयन करने, और राजनैतिक वित्तपोषण के लिए एक उचित, निष्पक्ष, और पारदर्शी प्रक्रिया के होने से चुनाव प्रणाली में विश्वास को कायम रखने में मदद मिलती है।

चुनाव के लिए खड़ा होना

आम चुनावों और उप-चुनावों में भाग लेने में दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे पंजीकृत या अपंजीकृत हो सकते हैं। केवल पंजीकृत दल ही दल के मतदान में भाग ले सकते हैं।

मतदान के लिए पंजीकृत प्रत्येक नागरिक चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने का पात्र है। स्थायी निवासी उम्मीदवार बनने के पात्र नहीं हैं।

इस समीक्षा द्वारा दलों के पंजीकरण, उम्मीदवार की पात्रता और चयन, तथा नामांकन प्रक्रियाओं पर विचार किया जा रहा है।

दल और उम्मीदवार की वित्तपोषण

दल और उम्मीदवार अपनी दैनंदिन गतिविधियों और चुनाव अभियानों के लिए निजी वित्तपोषण पर निर्भर होते हैं। चुनाव अवधि के दौरान टीवी, रेडियो, और इंटरनेट पर दल के प्रचार के लिए सीमित सार्वजनिक वित्तपोषण उपलब्ध है।

समीक्षा में निजी और सार्वजनिक वित्तपोषण स्रोतों के बीच उपयुक्त संतुलन पर, तथा इस बात पर विचार किया जा रहा है कि क्या वर्तमान नियमों में कोई परिवर्तन किए जाने चाहिए।

चुनाव संबंधी विज्ञापन और प्रचार अभियान

विज्ञापन, प्रसारण, और अभियान के व्यय पर प्रतिबंधों का उद्देश्य चुनाव में भाग लेने वालों के लिए समान परिस्थितियाँ बनाना और इस संभावना को रोकना है कि कोई एक व्यक्ति अधिक खर्च करके चुनाव को विसंगत रूप से प्रभावित करे।

समीक्षा में वर्तमान नियमों और उनमें परिवर्तनों की जरूरत पर विचार किया जा रहा है।

अन्य मुद्दे

समीक्षा के इस भाग में निम्न बातों को भी कवर किया जाएगा:

- प्रकटीकरण संबंधी आवश्यकताएं
- चुनाव की विज्ञापन प्रक्रिया में तृतीय-पक्ष प्रवर्तकों की भूमिका।

भाग 4: चुनाव संबंधी प्रशासन

यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियमों का पालन किया जाए, एओटियारोआ न्यूज़ीलैंड की चुनाव प्रणाली के प्रशासन में कई एजेंसियाँ भूमिका निभाती हैं।

चुनाव आयोग

चुनाव आयोग की प्राथमिक ज़िम्मेदारी संसद के चुनावों को निरापद ढंग से संपन्न करना है। वह निर्वाचक सूचियाँ कायम रखता है (स्थानीय संकाय चुनावों के लिए सूचियाँ प्रदान करने के साथ-साथ) और सांसदीय चुनाव प्रणाली के बारे में जनता की समझ और शिक्षा का समर्थन करता है।

इस समीक्षा में चुनाव प्रणाली में चुनाव आयोग की भूमिका पर विचार किया जा रहा है, जिसमें इसके कार्य, अधिकार, प्रशासन, और स्वतंत्रता शामिल हैं।

प्रवर्तन और विवादों का समाधान

एओटियारोआ न्यूज़ीलैंड के चुनाव नियमों की अखंडता के लिए एक प्रभावी और अभिगम्य प्रवर्तन और विवाद समाधान प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग शिकायतें प्राप्त करता है, और यदि उसे लगता है कि कानून का उल्लंघन हुआ है, तो वह मामले को जाँच के लिए पुलिस के पास भेजता है। नियमों के अर्थ और चुनाव के परिणामों से संबंधित विवाद अदालतों द्वारा हल किए जाते हैं।

समीक्षा में विचार किया जा रहा है कि क्या वर्तमान अपराधों, दंडों, और प्रवर्तन की प्रक्रियाओं में, तथा विवादों (मतों की दोबारा न्यायिक गिनती और चुनाव-संबंधी याचिकाओं सहित) को हल करने की प्रक्रियाओं में किसी परिवर्तन की जरूरत है।

अन्य मुद्दे

समीक्षा के इस भाग में निम्न बातों को भी कवर किया जाएगा:

- निर्वाचन सूचियाँ और उनके उपयोग का तरीका
- चुनाव क्षेत्रों की सीमा की समीक्षाएं और प्रतिनिधित्व आयोग
- पुलिस, गंभीर जालसाजी कार्यालय, प्रसारण मानक प्राधिकरण, और विज्ञापन मानक प्राधिकरण जैसी अन्य एजेंसियों की भूमिका
- अफवाह, गलत जानकारी, और विदेशी हस्तक्षेप

अपनी राय जाहिर करें

हम आपकी राय जानना चाहते हैं

हम वर्तमान चुनाव कानून के बारे में आपके विचार और चुनाव प्रणाली के भविष्य के बारे में आपके विचार जानना चाहते हैं। हम आपके विचारों का उपयोग इस बारे में सिफारिशें विकसित करने के लिए करेंगे कि किस चीज में परिवर्तन की जरूरत है।

मात्र एक मुद्दे, कुछ मुद्दों, या समूची समीक्षा पर विचारों का स्वागत है। हम आपको हमारी संदर्भ की शर्तों के भीतर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

आप इस सारांश दस्तावेज़ और हमारे परामर्श दस्तावेज़ के अनुवादित और अभिगम्य संस्करणों के लिए https://electoralreview.govt.nz/ पर हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं।

अपनी राय कैसे जाहिर करें

इस सारांश दस्तावेज़ में समीक्षा के भीतर महत्वपूर्ण विषयों का वर्णन किया गया है और अपने विचार प्रदान करने में आपकी मदद करने के लिए प्रश्न शामिल किए गए हैं।आप चाहे जितने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, या प्रश्नों का उत्तर दिए बिना अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।

आप समीक्षा के बारे में अपने विचार कई तरीकों से जाहिर कर सकते हैं:

- आप यहाँ उपलब्ध सबमिशन फॉर्म को भर कर अपने विचार ऑनलाइन साझा कर सकते हैं: https://consultations.justice.govt.nz/policy/independent-electoral-review/.
- आप अपना सबमिशन खुद भी लिख सकते हैं और उसे secretariat@electoralreview.govt.nz पर ईमेल कर सकते हैं, या इस पते पर पोस्ट कर सकते हैं:

  Independent Electoral Review
  Free Post 113
  PO Box 180
  Wellington 6140

- यदि आप वीडियो सबमिशन करना चाहते हैं, तो कृपया हमसे डाक या ईमेल द्वारा संपर्क करें।
- सार्वजनिक कार्यक्रमों की सूचना हमारी वेबसाइट https://electoralreview.govt.nz/ पर दी जाएगी। यदि आप पैनल से बात करना चाहते हैं तो डाक या ईमेल द्वारा संपर्क करें।

आपके विचार साझा करने की अंतिम तिथि

सभी सबमिशनों के लिए अंतिम तिथि **14 नवंबर 2022** है। इस समय के बाद प्राप्त होने वाले सबमिशनों पर विचार नहीं किया जा सकेगा। यदि इस अंतिम तिथि से आपकी (या आपके संगठन की) सहभागिता प्रभावित होती है या उसमें रुकावट होती है, तो कृपया हमें बताएं।

गोपनीयता और आधिकारिक जानकारी

पैनल का इरादा प्राप्त होने वाले सबमिशनों को रिलीज़ करने का है। यदि आप नहीं चाहते कि आपके सबमिशन में प्रदान किए गए आपके नाम या किसी भी अन्य जानकारी को रिलीज़ किया जाए, तो उसे हमारे पास भेजते समय यह बात स्पष्ट रूप से बताएं और उसका कारण प्रदान करें। उदाहरण के लिए, आप चाहते हैं कि कुछ जानकारी गोपनीय रखी जाए क्योंकि यह संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी है।

आपके सबमिशन पर आधिकारिक जानकारी अधिनियम 1982 (आधिकारिक जानकारी अधिनियम) के अंतर्गत जानकारी के लिए अनुरोध भी लागू हो सकता है। आधिकारिक जानकारी अधिनियम के अंतर्गत अनुरोधों का जवाब देते समय हम आपके विचारों को ध्यान में रखेंगे।

निजता अधिनियम 2020 संचालित करता है कि स्वतंत्र चुनाव समीक्षा आपके बारे में निजी जानकारी को और आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी को कैसे इकट्ठा करती है, संभालती है, इस्तेमाल करती है और उसे साझा करती है। आपको इस व्यक्तिगत जानकारी को जानने और उसे सही करने का अधिकार है।

परामर्श संबंधी प्रश्न

आप चाहे जितने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, या प्रश्नों का उत्तर दिए बिना अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।

भाग 1: मतदान प्रणाली

1.1 आपके विचार से दल मत की प्रवेश सीमा क्या होनी चाहिए?

1.2 एक चुनाव क्षेत्र सीट प्रवेश सीमा के बारे में आपके विचार क्या हैं?

1.3 ओवरहैंग सीटों के बारे में आपके विचार क्या हैं?

1.4 क्या आपके विचार से चुनाव क्षेत्र और लिस्ट सीटों के बीच एक निश्चित अनुपात होना चाहिए? यदि हाँ, तो यह अनुपात कितना होना चाहिए?

1.5 संसद की अवधि कितनी होनी चाहिए?

1.6 चुनाव की तारीख कैसे नियत की जानी चाहिए?

1.7 संसद की रिक्त सीटों से संबंधित वर्तमान नियमों में कौन से परिवर्तन करने चाहिए?

क्या आप भाग 1: मतदान प्रणाली में मौजूद विषयों के बारे में हमसे कोई और बात कहना चाहते हैं?

भाग 2: मतदाता

2.1 आपके विचार से मतदान की आयु क्या होनी चाहिए?

2.2 मतदाताओं की पात्रता के नियमों में कौन से परिवर्तन करने चाहिए?

2.3 नामांकन प्रक्रिया को सुधारने के लिए कौन से परिवर्तन करने चाहिए?

2.4 मावरी चुनाव विकल्प में कौन से परिवर्तनों की जरूरत है?

2.5 क्या विशेष मतदान सहित, मतदान के वर्तमान तरीके मतदाताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं? यदि नहीं, तो कौन से परिवर्तन करने चाहिए?

2.6 मतदान को अधिक अभिगम्य बनाने के लिए कौन से परिवर्तन करने चाहिए?

2.7 क्या मतदान की प्रक्रिया की अखंडता की सुरक्षा के लिए किए गए उपाय पर्याप्त रूप से मजबूत हैं? यदि नहीं, तो कौन से परिवर्तन करने चाहिए?

2.8 आपातस्थितियों और विदारणों से निपटने के लिए किन परिवर्तनों की जरूरत है?

2.9 किन परिस्थितियों में चुनाव को स्थगित करना चाहिए या मतदान को रोकना चाहिए?

2.10 चुनाव को स्थगित करने या मतदान को रोकने का फैसला करने का अधिकार किसके पास होना चाहिए?

2.11 वोटों की गिनती की प्रक्रिया को किस तरह से सुधारा जा सकता है?

2.12 क्या वोटों की गिनती की अखंडता के लिए किए गए उपाय पर्याप्त हैं? यदि नहीं, तो कौन से परिवर्तन करने चाहिए?

क्या आप भाग 2: मतदाता में मौजूद विषयों के बारे में हमसे कोई और बात कहना चाहते हैं?

भाग 3: दल और उम्मीदवार

3.1 किसी दल के पंजीकृत होने और बने रहने के लिए प्रणाली में किन परिवर्तनों की जरूरत है?

3.2 उम्मीदवारों की पात्रता के नियमों में किन परिवर्तनों की जरूरत है?

3.3 दलों द्वारा अपनी दलीय सूचियों का चयन करने की आवश्यकताओं में कौन से परिवर्तन करने चाहिए?

3.4 उम्मीदवार नामांकन प्रक्रिया को सुधारने के लिए कौन से परिवर्तन करने चाहिए?

3.5 राजनैतिक वित्तपोषण प्रक्रिया में कौन से परिवर्तन करने चाहिए?

3.6 दलों और उम्मीदवारों का वित्तपोषण कैसे करना चाहिए?

3.7 चुनावों के विज्ञापन और राजनैतिक प्रचार अभियानों के नियमों में कौन से परिवर्तन करने चाहिए?

3.8 चुनावों के विज्ञापन और प्रचार अभियानों के लिए व्यय पर कौन से प्रतिबंध लागू होने चाहिए? प्रतिबंध किस पर लगाए जाने चाहिए?

क्या आप भाग 3: दल और उम्मीदवार में मौजूद विषयों के बारे में हमसे कोई और बात कहना चाहते हैं?

भाग 4: चुनाव संबंधी प्रशासन

4.1 चुनाव आयोग की भूमिकाओं और कार्यों के बारे में आपके क्या विचार हैं?

4.2 अप्रकाशित मतदाता सूचियों सहित, आपके विचार से मतदाता सूचियों को किस तरह से कायम रखना और एक्सेस करना चाहिए?

4.3 प्रतिनिधित्व आयोग, और चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं और उनके नामकरण के तरीके में कौन से परिवर्तन करने चाहिए?

4.4 वर्तमान अपराधों, दंडों, और प्रवर्तन की प्रक्रियाओं में कौन से परिवर्तन करने चाहिए?

4.5 चुनाव संबंधी नियमों, या चुनाव के परिणामों से संबंधित विवादों को निपटाने के तरीकों में कौन से परिवर्तन करने चाहिए?

4.6 न्यूज़ीलैंड के चुनावों को प्रभावित करने वाली अफवाहों और गलत जानकारी के जोखिम को कम करने के लिए क्या करना चाहिए?

4.7 न्यूज़ीलैंड के चुनावों को प्रभावित करने वाले विदेशी हस्तक्षेप को कम करने के लिए क्या करना चाहिए?

क्या आप भाग 4: चुनाव प्रशासन में मौजूद विषयों के बारे में हमसे कोई और बात कहना चाहते हैं?

क्या आप हमसे समीक्षा के बारे में और कोई बात कहना चाहते हैं?

He Arotake Pōtitanga Motuhake

स्वतंत्र् चुनाव समीक्षा

https://electoralreview.govt.nz/

secretariat@electoralreview.govt.nz